न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 22 / 2024(GCMS 2024/36)
(आरटीआई नं. 212727163101843)

अभिमन्यु सिंह पुत्र श्री मनजीत सिंह निवासी वार्ड नम्बर 14, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 87643—94544)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>बनाम</u>

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

<u>18.06.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अभिमन्यु सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.02.2024 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी द्वारा किस धारा के तहत उसका प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है की जानकारी उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी अभिमन्यु सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.02.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

> Please tell give information about action taken upon my complaint by post consignment no. RR382492038IN?

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई. / —— / 2024 / 181 दिनांक 01.04.2024 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.02.2024 ऑनलाईन नम्बर 7267965439 दिनांक 23.02.2024 को सपेसिफिक (Specific) सूचना नहीं होने के कारण खारिज किया जा चुका है। अपीलार्थी को ऑनलाईन सूचना निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध करवा दी गई थी, जिसकी छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-
(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
लोक सूचना अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने उक्तानुसार अपील का जवाब दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है, **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना,

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर,** श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को भी आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर